लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 श्री सीमेंट लिमिटेड (श्री रायपुर सीमेंट प्लांट) द्वारा ग्राम खपराडीह, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित क्लिंकर 2X1.5 मिलियन टन/वर्ष से 2 X2.6 मिलियन टन/वर्ष, सीमेंट 2X2.6 मिलियन टन/वर्ष से 2 X3.0 मिलियन टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकवरी पॉवर प्लांट 15 मेगावॉट से 30 मेगावॉट, कैप्टिव थर्मल पॉवर प्लांट 25 मेगावॉट (सिंथेटिक जिप्सम ईकाई 65 टन /घंटा के साथ) एवं डी.जी. सेट्स 2,000 केवीए (साईज़ 1,000/500/250/125) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 22.01.2016 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 श्री सीमेंट लिमिटेड (श्री रायपुर सीमेंट प्लांट) द्वारा ग्राम खपराडीह, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित क्लिंकर 2X1.5 मिलियन टन/वर्ष से 2 X2.6 मिलियन टन/वर्ष, सीमेंट 2X2.6 मिलियन टन/वर्ष से 2 X3.0 मिलियन टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकवरी पॉवर प्लांट 15 मेगावॉट से 30 मेगावॉट, कैप्टिव थर्मल पॉवर प्लांट 25 मेगावॉट (सिंथेटिक जिप्सम ईकाई 65 टन /घंटा के साथ) एवं डी.जी. सेट्स 2,000 केवीए (साईज़ 1,000/500/250/125) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। नवभारत तथा टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 22.01.2016 दिन शुक्रवार को समय दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक स्थान ग्राम खपराडीह में स्थित सार्वजनिक रंगमंच, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई।

इसी स्थल पर उद्योग के लाईम स्टोन माईन के क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक लोक सुनवाई नियत की गई थी। उद्योग की प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजनाओं (1) लाईम स्टोन माईन (2) सीमेंट प्लांट के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 22.01.2016 को अपर कलेक्टर बलौदाबाजार श्री एम. कल्याणी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, श्री सिंग एस.डी.ओ.पी., उद्योग प्रतिनिधि श्री रवि तिवारी, श्री राकेश भार्गव तथा मान्नीय विधायक श्री जनक लाल वर्मा, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग पांच सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. उद्योग के क्षमता विस्तार के तहत् सीमेंट प्लांट की लोक सुनवाई दोपहर 02:00 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जन–समुदाय द्वारा प्लांट की सुनवाई से संबंधित उपस्थिति पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। उद्योग के क्षमता विस्तार के तहत् लाईम स्टोन माईन की सुनवाई के दौरान जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. **उद्योग प्रतिनिधि** श्री राकेश भार्गव ने प्रस्तुतीकरण दिया। श्री भार्गव ने बताया कि श्री सीमेंट लिमिटेड, बांगर ग्रुप की एक कंपनी है, जिसकी सीमेंट उत्पादन क्षमता 23.6 मिलियन टन/वर्ष है। कंपनी की उत्पादन ईकाई बियावर–अज़मेर एवं रास–पाली, राजस्थान में एवं खपराडीह, बलौदाबाजार–भाटापारा छत्तीसगढ़ में स्थित है एवं विभाजित ग्राईंडिंग ईकाई खुशखेड़ा, सूरतगढ़ एवं जोबनेर राजस्थान में लकसर उत्तराखंड में बुलंद शहर, उत्तरप्रदेश में पानीपत हरियाणा में एवं औरंगाबाद बिहार में स्थित है। क्लिंकर 2 X 1.5 मिलियन टन/वर्ष से 2X2.6 मिलियन टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकवरी पॉवर प्लांट 15 मेगावॉट, कैप्टिव पॉवर प्लांट 50 मेगावॉट निकट ग्राम खपराडीह, तहसील सिमगा एवं 4.8 मिलियन टन/वर्ष क्षमता की कैप्टिव चूना पत्थर खदान, खनन पट्टा क्षेत्र 531.126 हेक्टेयर में ग्राम सेमराडीह एवं भरूवाडीह, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. के लिये पर्यावरणीय अनापत्ति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक जे–11011/235/2008-IA-II (I), दिनांक 07.03.2011 एवं उसमें संशोधन दिनांक 01.06.2011 एवं दिनांक 04.02.2015 से ली जा चुकी है, के संबंध में जानकारी देते हुये प्रस्तावित परियोजना, पर्यावरणीय अनापत्ति की स्थिति, अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परियोजना के लिये मूलभूत आवश्यकतायें, ईंधन की आवश्यकता, उत्पादन प्रकिया विवरण, वायु, ध्वनि, सतह जल, भू–जल एवं मृदा विश्लेषण के स्थानों के संबंध में, मार्च से मई 2015 के मध्य पर्यावरण आधारभूत अध्ययन, विभिन्न परिदृश्यों के लिये अधिकतम वृद्धिशील सांद्रता, वायु गुणवत्ता प्रबंधन, वर्तमान वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण एवं भंडारण, मौजूदा पौधारोपण, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षा प्रोत्साहन, आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण एवं सी.एस.आर. गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

6. अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने जनसामान्य से इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, तथा इस संबंध में राय तथा जनसामान्य के लिखित एवं मौखिक सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की तथा आश्वस्त किया कि जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी हो रही है।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्रीमति अदिति बाघमार, ग्राम खपराडीह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उद्योग को भारत में मंदिर की संज्ञा दी है। उद्योग वरदान साबित हो न कि अभिशाप, उद्योग से क्षेत्र का विकास होना चाहिये, विनाश नहीं। जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सामाजिक कल्याण, शिक्षा, का प्रबंध करना चाहिये। पर्यावरण संतुलन के लिये वृक्षारोपण, वेतन विसंगति में सुधार, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके। संयंत्र के विस्तारीकरण से रोजगार बढ़ेगा, उद्योगों के आने से शैक्षणिक, बौद्धिक, आर्थिक क्षमता में वृद्धि हुई है, मिल जुलकर वातावरण का निर्माण करें व प्रबंधन के सामने समस्या रखें।

2 जन–सुनवाई में उपस्थित एक वक्ता ने कहा कि खपराडीह में सुनवाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि, खपराडीह के लोग दूसरों को बोलने का मौका नहीं देंगे।

3 श्री जनक राम वर्मा, मान्नीय विधायक बलौदाबाजार ने कहा कि हम पर्यावरण के संबंध में चर्चा करने के लिये एकत्रित हुये हैं, हम लोग अपनी जमीन बेच चुके हैं, प्रभावित लोगों के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिये, आपसी लड़ाई से काम नहीं चलेगा, सब बैठकर मिलकर तय करें, एक गांव विरोध करे और दूसरा गांव समर्थन करे यह उचित नहीं है। कंपनी लग चुकी है, जीवनभर का साथ हैं, वे हमारे पड़ोसी बन चुके हैं। उन्होने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था कंपनी को करनी चाहिये, पर्यावरण संवर्द्धन हेतु वृक्षारोपण किया जावे। आपसी लड़ाई से मुख्य मुद्दे भटक जाते हैं।

4 श्री सुरेन्द्र शर्मा, बलौदाबाजार ने कहा कि सीने में जलन, आंखों में तुफान सा क्यों हैं, इस गांव का हर शख्स परेशान क्यों है। जोश के साथ होश का होना भी जरूरी है, बुद्धि लगाने की जरूरत है। आप वही कर रहे है जो ये चाहते हैं, पहले फैक्ट्री लगी, शुरू हुई विरोध हुआ। आज संयंत्र विस्तार का विरोध हो रहा है, पर्यावरण के तहत् जितना वृक्षारोपण होना चाहिए, नही हुआ है। लोक सुनवाई की खबर स्थानीय अखबार में नहीं छपी है। वाहनों, उपकरणों से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, धूल के कारण चर्म रोग हो रहा है। बेरोजगारी को दूर करने हेतु शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा व्यवस्था का होना जरूरी है, गांव के लोगों को खेती किसानी के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है, गांव के युवकों को रोजगार मिले, ग्रासिम फैक्ट्री को लगे 27 साल हो गये हैं, यदि इनके द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की गई होती तो, गांव के बच्चे बड़े ओहदे पर होते। गांव के तालाब, कुओं आदि की भी व्यवस्था की जावे। सब लोग मिल जुलकर आगे बढ़ें।

5 जन–सुनवाई में उपस्थित एक वक्ता ने कहा कि सिर्फ एक बात करो कि हमें नौकरी चाहिये। 10 लोग आयेंगे बात करेंगे, श्री रवि तिवारी आयें, जवाब दे। पर्यावरण की बात ये जाने और कंपनी जाने। नौकरी सुनिश्चित हो तभी परिवार पलता है। आप नौकरी दो एक–एक घर 10 पेड़ लगायेगा, पर्यावरण हम देख लेंगे, आप हमे नौकरी दिजिये।

6 श्री मदनलाल वर्मा, ग्राम खपराडीह ने कहा कि हक के लिये लड़ना सीखों, संघर्षों से जीना सीखो, राह बनाकर चलना सीखो, लोक सुनवाई के लिये एकत्रित हुये हैं, सबको बोलने का अधिकार है, गांव में फैक्ट्री आयेगी तो एक–एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। पहले मंगलम साहब के पास बिटिया के नौकरी के संबंध में गया, इस कंपनी में बिटिया को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ये वो भारत देश है, जहां इंदिरा गांधी, झांसी की रानी पैदा हुई हैं। एक कंपनी ने देश को लूटा, यह कहकर कि नील की खेती नहीं आती, यह कंपनी कहती है कि, सीमेंट बनाना नहीं आता है। सर्व शिक्षा अभियान के संचालक कहते हैं कि, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या मिला बेटी को पढ़ाकर। आप पर्यावरण की चिंता करते हो, गांव की संख्या 2000 है, 2000 पेड़ लग जायेंगे। मेरे पास 40 साल का अनुभव है, मेरे पास नौकरी नहीं है। मेक इन खपराडीह, तभी मेक इन इंडिया सार्थक होगा। बेटियों को नौकरी नहीं दे सकते, क्या शासन है ? मान्नीय विधायक महोदय सुने। बेटी है, तभी आप हैं। हम मेहनतकश लोग हैं, एक बीज धान नहीं था, तब भी जिये। हमे कंबल, छाता की जरूरत नहीं है, हम खुले आसमान में रहने वाले लोग हैं।

7 श्री रेवाराम साहू, ग्राम सेम्हराडीह ने कहा कि पर्यावरण की जनसुनवाई है, रोजगार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ जीवन का विकास होता है। बिना पर्यावरण के मानव जीवन संभव नहीं है। कंपनी लगने से वातावरण बिगड़ता है, पर्यावरण के संबंध में सुनवाई है, पर्यावरण में पेड़–पौधों के साथ–साथ, गाय–बकरी, पशुपालन भी अनिवार्य है। जो लोग योग्यता रखते हैं, उन्हे त्वरित रोजगार मिले। प्रभावित चारों गावों के किसानों को रोजगार मिले।

8 श्री मुरारी मिश्रा ने कहा कि जनता के समर्थन में, गांव, गरीब के समर्थन में बोलने के लिये आया हूं। लोक सुनवाई तभी होती है, जब प्लांट की जरूरत होती है। जनता की जरूरत के समय लोक सुनवाई नहीं होती। पर्यावरण की स्थिति देखने के लिये कब जाते हैं, मैं क्षेत्र में जिला पंचायत का प्रतिनिधि रहा हूं, मेरी कहीं कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। प्लांट से विरोध होता तो यहां के लोग जमीन क्यों बेचते, शासन, पर्यावरण विभाग की कोई फैक्ट्री में नकेल नही है, खपराडीह में 30 इंजीनियर है, किसी को नौकरी नही है, आप से जंग लड़ने की नहीं मांग मागने की ताकत है, आप से मांग है कि बताइये कब रोजगार देंगे, नियमों के विपरीत काम करने वालों को लाइसेंस रद्द नहीं किया गया, शासन ने फैक्ट्री में कभी ताला नही लगाया, यह जन–सुनवाई खपराडीह की बस नही है, पर्यावरण विभाग पूर्ण रूप से दोषी है, चारो तरफ धूल मिट्टी है, शासन से निवेदन है कि आप लोगों की बात सुनें, आप गरीबों की भलाई के लिये बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे हैं, आप यू.पी., पंजाब, महाराष्ट्रा में होते तो न जाने क्या होता ? हमें हिंसा के लिये मत उकसाईये, जो ज्यादा गरीब है, उसे पहले नौकरी दो।

9 श्रीमति लक्ष्मी बघेल ने कहा कि उद्योग से आर्थिक विकास होता है, उद्योग के विस्तार से समृद्धि आयेगी, ठेकेदार के माध्यम से नौकरी में पसीने का दाम नहीं मिलता, वाजिब मजदूरी मिलनी चाहिये। योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिये। कंपनी गांव को गोद नहीं ले सकती, गांव ने कंपनी को गोद लिया हुआ है। हम लोग जमीन नहीं देते तो कंपनी नहीं आ सकती थी।

10 श्रीमति अदिति बाघमार ने कहा कि सबको अपनी बात रखने दें, श्री रवि तिवारी जवाब देंगे, जवाब नहीं देगें तो कहां जायेंगे।

11 श्री शशिकांत मिश्रा, ग्राम भरूवाडीह ने कहा कि हमको पर्यावरण से मतलब नहीं है, हमको रोजगार दिया जावे। बाहर का आदमी बात नहीं करेगा, जनप्रतिनिधि आज तक कहां थे, श्री रवि तिवारी जवाब दें। रोजगार की बात करें, यदि हमको संतुष्टि होगी, तभी प्लांट लगेगा।

12 श्री डी.डी. घृतलहरे, सरपंच भरूवाडीह ने कहा कि हम कर्मचारी रहते हुये भी लड़े हैं, युवा साथियों को रोजगार मिले, साल भर से लड़ रहें हैं। 10 कि.मी. के भीतर तकनिकी बेरोजगारों को रोजगार मिले, जिसमें प्रभावित पहले चार गांव वालों को मौका मिले, प्रभावित गांवों को शासन के नियमानुसार नौकरी देना चाहिये तथा 20 प्रतिशत बाहरी को दें। शासन के अनुबंध का पालन हो। हमारे गांव की पूरी जमीन गई है, केवल घर बचे हुये हैं, 1200 एकड़ जमीन गई है, जिनकी जमीन गई है, उनके बच्चों को प्राथमिकता दें, प्राथमिकता का आह्वान चाहता हूं, सहयोग की अपेक्षा है।

13 श्री रामदेव ध्रुव, सरपंच सेम्हराडीह ने कहा कि मैं किसी के ठेकेदारी नहीं करता हूं।

14 श्री सुरेन्द्र ठाकुर, पूर्व सरपंच सुहेला ने कहा कि पर्यावरण की समुचित व्यवस्था हो, प्रभावित कृषकों की व्यवस्था की जावे, चार गांव ही प्रभावित नहीं है, सुहेला को भी सम्मिलित करें।

15 श्री पुसउराम साहू ने कहा कि, मेडिकल के संबंध में कह रहा हूं, ग्रासिम गया था, उन्होने रायपुर भेज दिया, मेरा 2.5 से 3 लाख रूपये खर्च हो गया है, मेडिकल की व्यवस्था की जावे।

16 जन–सुनवाई में उपस्थित एक वक्ता ने कहा कि यह जन सुनवाई क्षमता विस्तार की है, ये कंपनी वाले पर्यावरण व रोजगार की योजना को पूरा नहीं किये हैं। इस कार्यकम का बहिष्कार किया जावे, सभी गांव के सरपंच एकत्रित हों, अल्टीमेटम दो, फिर सुनवाई होगी। प्रभावित चारों गांव के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिये। आज का कार्यकम सार्थक नहीं है।

17 श्री रवि तिवारी, उद्योग प्रतिनिधि ने कहा कि जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं, जो भी शंका है, जो भी आपत्ति है, जो भी आरोप हैं, मैं सबका जवाब दूंगा, बिना जवाब दिये नहीं जाउंगा। आज देश के सामने विकट समस्या है, तो रोजगार की समस्या है, पर्यावरण जन सुनवाई में गंभीर मुद्दा रोजगार का आया है। वर्ष 2010 से जमीन खरीदना शुरू किया गया है, फैक्ट्री में योग्यता एवं आवश्यकतानुसार नौकरी दूंगा, नियमों का पालन किया गया है, जमीन जिसने दी है, मैं पालन करूंगा, इतनी फैक्ट्री आस–पास है, सबसे अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार हमने दिया है, ठेका लोकल लोगों को दिया है, भरसक कोशिश है, नई यूनिट में रोजगार का अवसर मिलेगा, कंपनी नियम–कानून से बंधी है, लोगों का स्थायित्व आयेगा, साल भर हुआ है, जितने लोगों को लगाया है, मैं उनको नहीं निकालूंगा, तनख्वा में फर्क है, योग्यता में फर्क है, जिसको तीन चार माह में दूर कर लिया जायेगा। ठेकेदार से कम पेमेंट लेते हैं, मैं पूरा पैसा देता हूं, पैसा न लें, सभी लोग अकांउट खुलवा लें, कम पैसा नहीं मिलेगा, 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, तो ओवर टाईम मिलता है, उन्होने बताया कि कंपनी में लगभग 1600 लोगों को रोजगार दिया गया है, जिनमें से 1300 लोग छत्तीसगढ़ के हैं, 1000 लोग बलौदाबाजार जिले से हैं। कंपनी सभी को रोजी–रोटी के अवसर देना चाहती है। क्षमता विस्तार से नौकरी के अवसर मिलेगें। 6 माह के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। जिस व्यक्ति ने नकल के 1500 रूपये दिये हैं, वह भुगतान की रसीद दिखाकर अपने 1500 रूपये वापस ले जावे। जमीन का रेट जब 15 लाख हो गया, तो सभी को 3 लाख रूपये का मुआवजा मिल चुका है। सभी लोगों को चेक से पेमेंट किया गया है, एक नंबर का पैसा दिया गया है। मैने जमीन के दो चेक दिये हैं, यदि किसी को कम मुआवजा मिला है, तो वह मुझसे पैसे ले सकता है।

अंत मे अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने उपस्थित जनसामान्य को अवगत कराते हुये बताया कि श्री सीमेन्ट के द्वारा क्षमता विस्तार परियोजनाओं (1) लाईम स्टोन माईन (2) सीमेंट प्लांट की जन सुनवाई हुई है। मैं सभी को प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूं कि यह दोनों जनसुनवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई तथा सीमेंट प्लांट के विस्तार एवं खदान के विस्तार की जनसुनवाई समाप्त घोषित की गई।

यह दोनो लोक सुनवाई दोपहर 11:20 बजे प्रारंभ होकर सांय 04:10 बजे संपन्न हुई। लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान तथा लोक सुनवाई के पश्चात कुल 14 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

Jointly Signed.

(एम. कल्याणी)
अपर कलेक्टर
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार-भाटापारा